Consumer Complaint No. DC/375/CC/90/2021	Priyal Soni Vs. Vastu Modular	Pronounced on Date 08-10-2025

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांकः— 15/06/2021
अंतिम तर्क दिनांकः— 09/09/2025
आदेश पारित दिनांकः— 08/10/2025

परिवाद प्रकरण क्रमांक— DC/375/CC/90/2021

प्रियाल सोनी उर्फ बन्टू सोनी, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता स्व. शैलेन्द्र कुमार सोनी, निवासी— सोनी किराना स्टोर तारबाहर, खुदीराम बोस चौक के पास, थाना तारबाहर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

....................परिवादी
द्वारा श्री नागेन्द्र सोनी, अधिवक्ता

//विरूद्ध//

1. प्रोपराइटर— प्रिया गुप्ता
   द्वारा— संचालक वास्तू माडलर
   निवासी— एक्सिस बैंक के ऊपर, पुराना बस स्टैण्ड के पास, राजीव प्लाजा के सामने, थाना तारबाहर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. श्रीमान प्रबंध संचालक महोदय
   संचालक वास्तु माडलर
   निवासी— एक्सिस बैंक के ऊपर, पुराना बस स्टैण्ड के पास, राजीव प्लाजा के सामने, थाना तारबाहर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.)
   पिन. 495001

.... विरोधी पक्षकारगण
द्वारा श्री आकाश गुप्ता, अधिवक्ता

समक्षः **माननीय आनंद कुमार सिंघल, अध्यक्ष**
माननीय श्रीमती पूर्णिमा सिंह, सदस्य
माननीय आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य

// आदेश //

(द्वारा— श्रीमती पूर्णिमा सिंह, सदस्य)

1. परिवादी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंर्तगत यह परिवाद विरोधी पक्षकार के विरूद्ध नव निर्मित मकान में माडलर

किचन, टी.वी. स्टैण्ड, चिमनी के लिए राशि प्राप्त कर उक्त कार्य का निर्माण पूर्ण नहीं कर सेवा में कमी के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त सेवा में कमी के परिणामस्वरूप परिवादी ने किये गये कुल भुगतान की राशि 97,500/-रूपये मय ब्याज, मानसिक मानसिक क्षतिपूर्ति के लिये 50,000/-रूपये, कुल 1,47,500/-रूपये दिलाये जाने का निवेदन किया है।

2. अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत एवं अविवादित तथ्य इस प्रकार है कि:-

(अ) परिवादी ने विरोधी पक्षकार क्र. 02 वास्तु माडलर से स्वतः के नव-निर्मित मकान में माडलर कीचन, टी.वी. स्टैण्ड, चिमनी निर्माण कार्य के लिये कोटेशन लिया था। तत्पश्चात् आपसी सहमति के आधार पर 1,27,500/-रूपये में उक्त निर्माण कार्य तय हुआ था। कोटेशन **प्रदर्श-सी-04** एवं बिल **प्रदर्श-सी-05** है।

(ब) परिवादी ने उक्त कार्य के लिये 37,000/-रूपये दिनांक 25.10.2019 को भुगतान किया। 500/-रूपये नगद भुगतान एवं 08 ई.एम.आई. 7,500/-रूपये को चेक, फोन पे और कैस के माध्यम से कुल 97,500/-रूपये का भुगतान विरोधी पक्षकार क्र. 02 को किया। जिसे विरोधी पक्षकार क्र. 02 की ओर से परिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट की प्रति **प्रदर्श-सी-07** के अनुसार पोस्ट डेटेड चेक का भुगतान प्राप्त होना स्वीकार किया है।

3. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, परिवादी ने विरोधी पक्षकार क्र. 02 से संपर्क कर अपने मकान में माडलर कीचन, टी.वी. स्टैण्ड एवं अन्य कार्य के मटेरियल, लेवर चार्ज, फिटिंग आदि मिलाकर कुल 1,30,000/-रूपये का खर्च होना बताया। उक्त कार्य के लिये 30 प्रतिशत एडवांस राशि देना एवं शेष राशि को किश्तों से अदा करना था। किश्तों में अदा करने के लिये परिवादी ने 12 कोरे चेक हस्ताक्षर कर के दिये जिससे हर माह किस्त की राशि परिवादी के खाते से काट ली जायेगी। माडलर कीचन, टी.वी. स्टैण्ड एवं किचन चिमनी के निर्माण के लिये 30 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण

करने का आश्वासन विरोधी पक्षकार क्र. 02 द्वारा दिया गया। विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने कुछ समय तक ही सही कार्य किया और बाद में वह काम करने में आना–कानी करने लगा। परिवादी द्वार निवेदन किया गया परंतु विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने अनसुना कर टाल–मटोल करता रहा। परिवाद प्रस्तुत दिनांक तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं किया गया। परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07.04.2021 की एक पंजीकृत सूचना भेजी जिसे विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने लेने से इंकार कर दिया जिससे परिवादी को शारीरिक, मानसिक क्षति हुई। विरोधी पक्षकार क्र. 02 के उक्त कृत्य सेवा में कमी के अंतर्गत आता है। अतः परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने अपनी प्रतिरक्षा में यह कहा है कि परिवादी को माडलर कीचन, टी.वी. स्टैण्ड एवं किचन चिमनी का कोटेशन एवं व्यावसायिक नियम शर्तो को पढ़कर समझाया गया। जिस पर परिवादी प्रियाल सोनी उर्फ वन्दू सोनी के द्वारा दिनांक 24.10.2019 को कोटेशन एवं व्यावसायिक नियम एवं शर्तो को स्वीकार कर अपना हस्ताक्षर कर विरोधी पक्षकार क्र. 02 को अपने मकान में उक्त तीनों कार्य करने की सहमति दिया था। परिवादी से विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने कोरे चेक लिये यह अस्वीकार है। कोटेशन एवं व्यावसायिक नियम व शर्ते में स्पष्ट उल्लेखित है कि परिवादी द्वारा जो चेक विरोधी पक्षकार क्र. 02 को दिया जायेगा वह पोस्ट डेटेड चेक (PDC) होगा जिसे परिवादी के द्वारा भरकर दिया जाता है। वह चेक प्रत्येक माह के 10 तारीख को विरोधी पक्षकार क्र. 02 के द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने दिनांक 25.10.2019 को परिवादी के मकान में कार्य प्रारंभ कर दिया गया था जिसे 20 दिनों के भीतर परिवादी के मकान में माडलर कीचन सेट एवं चिमनी का कार्य पूर्ण कर दिया गया था। जब विरोधी पक्षकार क्र. 02 द्वारा टी.वी. स्टैण्ड बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा था तब परिवादी ने कहा कि वह अपने मकान में पेंटिग, वॉल केयर एवं धुलाई का कार्य होने के पश्चात टी.वी. स्टैण्ड का कार्य कराएगा तब विरोधी पक्षकार क्र. 02 द्वारा कार्य रोक दिया गया। शेष बचे हुए टी.वी. स्टैण्ड के कार्य को पूर्ण कराने के लिए परिवादी द्वारा रूचि नहीं

दिखाने पर विरोधी पक्षकार ने जब दिसम्बर माह में फोन कर शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण करने का आग्रह किया तो परिवादी ने मना कर दिया। पुनः फरवरी माह में परिवादी स्वयं आज–कल में करने की बात कहकर टाल–मटोल करने लगा। विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने पुनः फरवरी माह में परिवादी की सहमति से दिनांक 15.02.2020 को कार्य प्रारंभ कर दिनांक 22.02.2020 को टी.वी. स्टैण्ड को बनाकर परिवादी को सौंप दिया गया। उक्त कार्य में विलम्ब का कारण परिवादी स्वयं है। स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त विशिष्ट कथन में यह व्यक्त किया है कि उनके द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष राशि 37,500/–रूपये (जो भुगतान विवरण के मिलान पश्चात् अंत में 30,000/–रूपये शेष होना उभयपक्ष ने माना है) के भुगतान से बचने के लिए एवं विरोधी पक्षकार पर अनैतिक दबाव बनाने के लिए झूठा परिवाद पेश किया है। अतः विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने किसी प्रकार से सेवा में कमी नहीं की है।

5. परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पत्र के अलावा सूची अनुसार दस्तावेज आवेदन पत्र मय शपथ पत्र **प्रदर्श–सी–01**, विधिक सूचना पत्र **प्रदर्श–सी–02**, बंद लिफाफा विरोधी पक्षकार को प्रेषित किया गया **प्रदर्श–सी–03,** रसीद **प्रदर्श–सी–04**, विरोधी पक्षकार द्वारा परिवादी को दी गई रसीद **प्रदर्श–सी–05** एवं **सी–06**, आधार कार्ड **प्रदर्श–सी–07**, फोटोग्राफ **प्रदर्श–सी–08**, बैंक स्टेटमेंट **प्रदर्श–सी–09** आदि प्रस्तुत किया है।

6. विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने अपने जवाबदावे के समर्थन में व्हाट्सअप मैसेज **प्रदर्श–.ओ.पी.–01** परिवादी से प्राप्त राशि का विवरण **प्रदर्श–.ओ.पी.–02** आदि प्रस्तुत किया है।

7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया। अभिलेखगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. विचारणीय प्रश्न निम्न हैः–

क्या विरोधी पक्षकारगण द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी की गई है ?

निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष

9. परिवादी ने विरोधी पक्षकार क्र. 02 वास्तु माडलर से अपने नव–निर्मित मकान में माडलर किचन, टी.वी.स्टैण्ड एवं माडलर चिमनी आदि कार्य के लिये 1,27,500/–रूपये का बिल प्रस्तुत किया जो **प्रदर्श–सी–05** से पुष्ट होता है। कोटेशन में परिवादी का नाम बन्टू सोनी एवं दिनांक 24.10.2019 **प्रदर्श–सी–04** में दर्शित है। बिल में माडलर बेस यूनिट, ईकोनामि माडलर किचन, वाल केबिनेट एवं टी.वी. यूनिट आदि कार्य दर्शित है। परिवादी ने कार्य के भुगतान के संबंध में **प्रदर्श–सी–05** वास्तू माडलर का बिल दिनांक 22.02.2020 का प्रस्तुत किया जिसमें माडलर किचन वेसयूनिट का 90,000/–रूपये, वाल यूनिट का 25,200/–रूपये, टी.वी. यूनिट का 27,300/–रूपये चिमनी का 19,990/–रूपये एवं एक्ट्रावर्क का 1,000/–रूपये सहित सब टोटल राशि 1,27,500/–रूपये है। परिवादी ने परिवाद की कण्डिका 03 में उक्त सभी काम का 1,30,000/–रूपये खर्च होना व्यक्त किया। परिवादी ने विरोधी पक्षकार को 12 पोस्ट डेटेड चेक देने का कथन किया है एंव परिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट में उक्त दिनांक के चेक से पेमेंट नहीं होने पर उसने विरोधी पक्षकार को फोन पे के माध्यम से भुगतान किया। परिवादी ने उक्त कार्य के संबंध में फोटोग्राफ **प्रदर्श–सी–08** प्रस्तुत किये है जिसमें माडलर किचन का कार्य पूर्ण होना दर्शित है। परिवादी ने विरोधी पक्षकार को दिनांक 08.01.2020 के व्हाट्सअप मैसेज में जो फोटोग्राफ भेजे है जिसमें किचन का कार्य पूर्ण होना दर्शित है। दिनांक 10.05.2020 को परिवादी ने विरोधी पक्षकार से उसका एकाउंट नंबर, आई. एफ.सी. कोड की मांग की है एवं अपने खाते में पैसा नहीं होने का कथन किया है और चेक बाउंस होने की बात कहीं है। दिनांक 09.07.2020 को परिवादी ने विरोधी पक्षकार से हर माह की 10 तारीख को खाते में पैसा ट्रांसफर करने की बात कही है एवं चेक नहीं लगाने की बात कही है एवं उक्त खाता बंद होने का कथन किया है। विरोधी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मैसेज से यह दर्शित है कि परिवादी ने किस्त की राशि का भुगतान समय पर नहीं किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में टी.वी. यूनिट का कार्य नहीं होना

दर्शित है एवं विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने लिखित तर्क की कंडिका 4 में शेष बचे हुए टी.वी. स्टैण्ड के कार्य को पूर्ण करने का कथन किया है एवं फरवरी माह में पुनः परिवादी को टी.वी. स्टैण्ड कार्य करने के लिए कहा है, जिससे यह दर्शित है कि विरोधी पक्षकार टी.वी. स्टैण्ड के कार्य को करने के लिए तत्पर था किंतु परिवादी स्वयं उक्त कार्य को कराना नहीं चाहता था।

10. परिवादी ने जो बिल **प्रदर्श–सी–05** प्रस्तुत किया है वह कुल 1,27,500/–रूपये का है और विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने जवाबदावा की कण्डिका 04 में शेष टी.वी. स्टैण्ड का निर्माण दिनांक 22.02.2020 को करना व्यक्त किया है एवं बिल भी उसी दिनांक का है जो परिवाद में प्रस्तुत किया गया है। परिवादी ने जो भुगतान किया है वह दिनांक 13.03.2020 से प्रारंभ हुआ है यदि परिवादी का कार्य विरोधी पक्षकार ने पूर्ण नहीं किया था तो परिवादी उक्त भुगतान को रोक सकता था परंतु परिवादी ने ऐसा नहीं किया। परिवादी ने विरोधी पक्षकार क्र. 02 को जो नोटिस भेजा वह भी दिनांक 07.04.2021 का है। परिवादी ने 22.02.2020 से नोटिस प्रेषित दिनांक के मध्य कार्य नहीं होने के स्थिति में टी.वी. कैबिनेट के भुगतान को रोक सकता था।

11. विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने परिवादी से कुल 30,000/–रूपये शेष राशि लेना व्यक्त किया और परिवादी ने शेष भुगतान से बचने के लिये जानबूझ कर इस आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना व्यक्त किया। विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने टी.वी. केविनेट निर्माण के लिए मटेरियल परिवादी के पास होना व्यक्त किया है। इसी प्रकार विरोधी पक्षकार की ओर से यह भी व्यक्त किया गया कि परिवादी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक का अनुबंध के अनुसार समय पर भुगतान नहीं किया गया था। विरोधी पक्षकार ने जितनी राशि प्राप्त की थी उससे अधिक का कार्य पूर्ण कर लिया है। टी.वी. केविनेट का समान परिवादी के पास ले जाकर रखा गया था जिसे फिटिंग करना मात्र शेष रहा है जिसकी कोई पावती वह परिवादी से प्राप्त किया था किंतु लंबा समय व्यतीत होने से प्रस्तुत नहीं कर सका है। विरोधी पक्षकार की ओर से व्हाट्सअप चैटिंग से भी यह तथ्य दर्शित किया गया है कि परिवादी द्वारा भुगतान किये जाने में स्वयं हिला–हवाला किया गया था जिसके लिए परिवादी स्वयं जिम्मेदार रहा है।

12. उपरोक्त विवेचना, विधिक विश्लेषणों के आधार पर हमारे सुविचारित मत में, परिवाद में प्रस्तुत दस्तावेजों से 97,500/–रूपये भुगतान होना साबित है एवं विरोधी पक्षकार क्र. 02 ने टी.वी. केविनेट का कार्य पूर्ण कर शेष भुगतान प्राप्त नहीं होना अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से साबित होना पाते है। अतः परिवादी ने जितना भुगतान किया है उससे अधिक का कार्य विरोधी पक्षकार द्वारा पूर्ण कर दिया जाना अधिसंभाव्यता की प्रबलता से साबित पाया जाता है। चूंकि परिवादी द्वारा वांछित अनुतोष में भुगतान की गई संपूर्ण राशि 97,500/–रूपये की मांग की जा रही है वह विरोधी पक्षकार द्वारा किये गये कार्य के बावजूद चाही गई है जो कि उचित नहीं है। अतः हम विरोधी पक्षकारगण के विरूद्ध सेवा में कमी किया जाना अधिसंभाव्यता की प्रबलता से साबित नहीं पाते है। फलतः परिवादी का परिवाद स्वीकृति योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

14. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

15. इस परिवाद में प्रस्तुत अंतरिम आवेदन पत्र, यदि कोई लंबित रहे हों, तो उन्हें तदनुसार, इस अंतिम आदेश के अन्तर्गत निराकृत माना जावेगा।

(आनंद कुमार सिंघल)	(श्रीमती पूर्णिमा सिंह)	(आलोक कुमार पाण्डेय)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य

Order Pronounced on: 08th October,2025